भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4813

दिनांक 23 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: अशोक दलवाई समिति की सिफारिशें

4813. डॉ॰ जी॰ रणजीत रेड्डीः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि अशोक दलवाई समिति ने यह माना था कि कुक्कुटपालन किसानों के लिए आय के मुख्य स्रोतों में से एक है;

(ख) क्या उक्त समिति की 146वीं सिफारिश में सरकार से छोटे एवं सीमांत किसानों की सहायता हेतु 'ग्रामीण बैकयार्ड विकास' नामक एक योजना बनाने के लिए कहा गया था; और

(ग) यदि हां, तो समिति की उक्त सिफारिश को लागू करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) जी, हां।

(ख) दलवाई समिति की 146वीं सिफारिश में यह सिफारिश की गई थी कि ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास योजना के दायरे को घरेलू कुक्कुट पालन से, जो इस समय गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के जीवन-निर्वाह में सहायता करता है, 200-400 तक पक्षियों से युक्त उद्यमों तक बढ़ाया जाए। निम्न-आदान प्रौद्योगिकी (एलआईटी) पक्षियों के मामले में, बड़े पैमाने पर कुक्कुट पालन के लिए इसे बाद में 1000-2000 पक्षियों तक बढ़ाया जाना संभव होगा।

(ग) पशुपालन और डेयरी विभाग ने सिफारिश के अनुरूप, ब्रॉयलर पालन और निम्न-आदान प्रौद्योगिकी(एलआईटी) पक्षी पालन के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के अंतर्गत पशुधन विकास के संबंधी उपमिशन के एक घटक 'उत्पादकता संवर्धन' की नवाचारी परियोजना के तहत नवाचार कुक्कुट उत्पादकता परियोजना (आईपीपीपी- ब्रॉयलर एण्ड एलआईटी) के नाम से एक योजना शुरु की थी जिससे ग्रामीण क्षेत्र में छोटे उद्यमियों को सहायता प्राप्त होती है।

*****